

काद जे. 16/019 बाबूलाल | प्रदलादशम

हुकम या कायवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख
अहकामजोइसहुकम
की
तामीलमेंजारीहुए

२२/५/१७

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं।

आज अदालत समय में रूक-रूक कर तीन बार आवाजें दिलवाये जानें के बावजूद वादी एवं उनके अधिवक्ता में से किसी के उपस्थित नहीं होने पर वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 2 व आदेश 9 नियम 3 सीपीसी के तहत अदम हाजरी एव अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार नम्बर से क्रम होकर दाखिल दफतर हो।


उपरखण्ड अधिकारी
शिव

